सं. ई: 11011/27/2017–हिन्दी/28

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

केन्द्रीय जल आयोग

906 (द),सेवा भवन, नई दिल्ली,
नई दिल्ली –110606
दिनांकः 09 जनवरी, 2018

सेवा में,

समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार),
सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग,
सभी समन्वय निदेशालय/अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग।

विषयः– **अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को आयोजित 130वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में।**
(Minutes of the 130th meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Hq.) held on 20 December, 2017 & time-bound action on decisions taken therein--reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को सायं **4.30** बजे आयोजित की गई केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, के.ज.आ. (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

भवदीया,

9/1/18

(रजिन्दर पाल)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011–29583720

संलग्नकः यथोक्त

प्रतिलिपि :–

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना/नदी प्रबंध के प्रधान/निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव।
4. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग।

वेब साइट पर भी अपलोड करें
9/1/2018

एस.एम.टी. अनु./Sec./निदे./Dte.
डा. सं./Dy. No. 19
दिनांक/Date 11/1/18.

स.नि. (रा.भा.) 9/1/18

उप निदेशक (एस एम डी) आदिवम 10/1/18 AD(AKA)

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 20.12.2017 को सायं 4.30 बजे आयोजित 130वीं बैठक का कार्यवृत्त

****

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय जल आयोग ने सर्वप्रथम सभी उपस्थित सदस्यों का परिचय लिया। सभी सदस्यों ने बारी-बारी से अध्यक्ष महोदय को अपना परिचय दिया। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बैठक की कार्रवाई शुरू की। सर्वप्रथम सहायक निदेशक (रा.भा.) ने नव-नियुक्त अध्यक्ष महोदय को बधाई देते हुए उनका इस प्रथम बैठक में तथा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा पिछली बैठक पर की गई कार्रवाई की पुष्टि का अनुरोध किया जिसकी समिति के सदस्यों ने पुष्टि कर दी। उसके बाद महोदया ने मदवार चर्चा शुरू की। समिति के सदस्यों की सूची अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैं:-

1. केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने संबंधी मुद्दे पर सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि यह मामला काफी समय से लंबित है। इस संबंध में निदेशक, एसएमडी ने बताया कि संयुक्त सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29.11.2017 को आयोजित की गई जिसमें वेबसाइट को रीडिजाइन एवं अद्यतन करने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में समन्वय निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंध और जल आयोजना एवं परियोजना स्कंध से वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सामग्री की सूची प्राप्त हो गई है। समन्वय निदेशक, नदी प्रबंध स्कंध ने शीघ्र सामग्री भेजने का आश्वासन दिया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि इसमें कितना समय लगेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कठिन शब्दों का इस्तेमाल न करें और अंग्रेजी के शब्दों को अंग्रेजी में ही अर्थात् देवनागरी लिपि में ही लिखा जाए। उन्होंने यह भी बताया कि वेबसाइट को द्विभाषी करवाने के संबंध में एनडब्ल्यूडीए से भी सम्पर्क किया जा सकता है क्योंकि एनडब्ल्यूडीए ने भी अपनी वेबसाइट अद्यतन कर द्विभाषी रूप में तैयार करवाई है।

(कार्रवाई : एसएमडी एवं पीसीपी निदेशालय)

2. सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बैठक की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए समिति को बताया कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उनकी अधीनस्थ इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशालाएं प्रत्येक तिमाही में आयोजित नहीं की जा रही हैं जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में एक बैठक

जारी.........2/-

और एक कार्यशाला आयोजित की जानी अपेक्षित है। इस संबंध में संयुक्त सचिव महोदय ने उदाहरण स्वरूप बताया कि लातूर उप मंडल कार्यालय में बहुत कम स्टाफ है फिर भी समिति की बैठक और कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि जिन कार्यालयों में बैठक एवं कार्यशालाएं नहीं हो रही हैं उन्हें पत्र लिखकर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एवं कार्यशाला नियमित रूप से आयोजित करने हेतु पत्र लिखा जाए।

(कार्रवाई : निदेशक (आरएमसीडी), हिंदी अनुभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय)

3. अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि मुख्यालय अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों में क्या हिंदी में तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि एनडब्ल्यूडीए जैसे कार्यालय में तकनीकी विषयों पर हिंदी में संगोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जाती हैं। इस पर संयुक्त सचिव महोदय ने समिति को बताया कि अभी तक तो कोई तकनीकी संगोष्ठी आयोजित नहीं की गई तथापि इस संबंध में तकनीकी निदेशालयों से विचार-विमर्श कर हिंदी में तकनीकी विषयों पर संगोष्ठी/सेमिनार आयोजित किए जाने पर विचार किया जाएगा।

(कार्रवाई : हिंदी अनुभाग एवं सभी निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय)

4. सहायक निदेशक (रा.भा.) ने समिति को अवगत करवाया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 के लक्ष्यानुसार प्रशिक्षण की सामग्री एवं प्रशिक्षण क ख और ग क्षेत्र में क्रमश: 70 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और 30 प्रतिशत हिंदी माध्यम से किया जाए। हिंदी अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण निदेशालय, के.ज.आ. एवं राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। शीघ्र ही इन निदेशालयों का निरीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि पहले इन कार्यालयों को पत्र लिखकर प्रशिक्षण सामग्री की द्विभाषी संबंधी स्थिति का पता किया जाए और तत्पश्चात् दोनों कार्यालयों का निरीक्षण किया जाए।

(कार्रवाई : हिंदी अनुभाग, प्रशिक्षण निदेशालय और एनडब्ल्यूए)

5. बैठक में तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा कि क्या के.ज.आ. (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन लाइन मंत्रालय और राजभाषा विभाग को भेजी जाती है। इस पर संयुक्त सचिव महोदय ने बताया कि उक्त रिपोर्ट ऑन लाइन भेजने के लिए राजभाषा विभाग से एक अकाउंट बनाने हेतु सम्पर्क किया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा अकाउंट मिलते ही तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑन लाइन ही भेजी जाएगी।

(कार्रवाई : हिंदी अनुभाग)

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 को सायं 4.30 बजे आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम सर्व श्री / श्रीमती / कुमारी
1.	सैयद मसूद हुसैन, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग
2.	मोती लाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ.
3.	आशिस बनर्जी, सचिव, के. ज. आ.
4.	वसीम असरफ, निदेशक, फाटक (उ. एवं प.), के. ज. आ.
5.	निरंजन बर, निदेशक (अभि0 एवं अनु0 समन्वय), के. ज. आ.
6.	शिवदत्त शर्मा, निदेशक (एसएमडी), के.ज.आ.
7.	एल.बी.टोल्टे, निदेशक (स्थापना–1), के.ज.आ.
8.	एस.के. नन्दा, अवर सचिव (1,2 एवं सतर्कता अनुभाग), के.ज.आ.
9.	गौरव शर्मा, उप निदेशक (पीसीपी), के.ज.आ.
10.	रणवीर सिंह, सहायक निदेशक–2 (प्रशिक्षण निदेशालय), के.ज.आ.
11.	अरविन्द कुमार टांक, सहायक निदेशक–2, के.ज.आ.
12.	रजिन्दर पाल, सहायक निदेशक (रा.भा.), के. ज. आ.
13.	बाबू लाल मीना, वरि.अनुवादक, के.ज.आ.
14.	छन्नू राम, वैयक्तिक सहायक, के.ज.आ.
15.	इन्द्रा एस., कनि.अनुवादक, के.ज.आ.